font>

16.42 hrs.

RESOLUTION RE : NATIONAL POLICY FOR CHILDREN

Title : Discussion on the resolution regarding national policy for children. (Discussion concluded and Resolution withdrawn).

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the next Resolution on 'National Policy for Children' to be moved by Shrimati Renuka Chowdhury. Before the Resolution is taken up for discussion, we have to fix the time for the discussion of this Resolution. Usually, two hours are allotted in the first instance. If the House agrees, we will allot two hours for discussing this Resolution.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Now, I give the floor to Shrimati Renuka Chowdhury.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): Sir, I beg to move:

"Taking note of--

a. the fact that despite our country having signed the UN Conventions on the Rights of Children, attaining these rights remains a far cry;
b. the fact that child in India continues to be much exploited and abused, in so far as--

i. sizeable percentage of children work in hazardous factories and mines including fireworks, match factories, carpet factories, slate and pencil factories; and are sent out to work on fields and as domestic help in house-holds, bars and restaurants;
ii. a large number of children are engaged in begging;
iii. many more are forced into flesh trade and to work as sex workers;
iv. adolescence of a large percentage of girls ends up in motherhood; and
v. atrocities on girl child start not on their birth but even before birth; due to female foeticide, resulting in alarming fall in sex ratio.

a. the fact that there is no plan of action to implement the Right to Education provided under article 21A of the Constitution,

this House is of the opinion that a National Policy for Children be formulated and a National Commission for Children be set up at the Centre and in States."

Sir, I thank you for giving me this opportunity to share with my honoured and respected colleagues the concern that all of us should have unitedly for the future of this country. May I embellish some facts of our nation today?

In India's worst drought after India's Independence, more than 4,500 farmers committed suicide because they could not see 'India Shining'. Their children are destitute today. The streets are filled with educated unemployed young people who do not understand what is 'India Shining'. They are children of parents like us and children of parents who have abandoned them. We have children left behind in wars, children who survived Laturs, children who belonged to the streets of India, and children who have no room or shelter to look after them. In Nations across the world, you have people and Governments paying their citizens more to have more children because the replacement levels of population have dropped so much and, in a nation like ours where there is a wealth of human resource, where the social figures show that 54 per cent of India's population is below 25 years of age, which means the reproductive age is at its peak and we will have a future with a lot more children, what happens to the children in our country who are already there? Besides urban rehabilitation and some occupations, largely in rural India, children are forced to go to work. Child labour is a word that I find very obscene because it contradicts itself.

A child, anybody's child, is the wealth of this nation. A child should be entitled by birth, by right under this Constitution, to be able to have a childhood that is free, safe and innocent, which encompasses care and loving that sometimes homes do not give. It should be the responsibility of the country to provide for these kinds of children.

India, for some strange reason, only looked at children as extensions of their mothers, or viewed them as a responsibility of their parents. The State never looked at children as a constituency. It never looked at children as an independent entity and never encompassed them in the concept of India's future. Today, more and more horror

stories of what happens to our children across the country are coming to the fore. More and more statistics reveal that children below the age of ten − here there is no gender discrimination, it includes both boys and girls − who have been abandoned, or who have run away from their homes, are children who have experienced great physical abuse and violence. They even experience sexual misuse in our country, both by Indians and foreigners. They are pushed into hazardous jobs to earn for their families and to substitute and enhance incomes. They are physically tortured as domestic helps in various homes.

Children do not have a law that protects them and their independent identities. There is no office to go to. There have been several Acts which have been amended over the years keeping pace with the times, social changes, and awareness levels, but there has been no particular sensitisation towards children. There have been no fora where children can avail any kind of special privileges. This is a growing concern. We have approximately six crore strong workforce of children in the country, though various statistics have alleged that over a period of time this figure has been coming down.

We have had blind spots in interpreting child labour as we call it. In the homes of master artisans or master weavers, certain patterns are held in the minds of elders. These skills are taught to children so that those patterns remain their patent and belong to that particular family. Sweeping generalisations and bans on child-made products have endangered such particular skills. But these are a very small minority. On the other side, you have children engaged in lock making, more horrifyingly in cracker making in Sivakasi, bangle making, matches making and other such toxic substances. Many laws have been made to try and sensitise the people to this. But, as we know, laws are not enough. We have more and more exploitation of child labour happening.

We see the plight of children who are neglected on national highways while, ironically, their parents build roads to prosperity. We see children running away from their homes, taking shelters and sleeping on railway platforms where they are taken advantage of. There are even more horrifying stories of children who have been killed so that their skulls and their skeletons can be sold to medical students in other countries for some wild research.

When such things happen, what is the answer that we have? How can we reach out and help contain this kind of exploitation and indifference? First of all, it is for us to take cognisance of the fact that a child who runs away from a home, who does not have a recognised parental custody or recognised guardian, is automatically the ward of the State.

There have been some efforts to establish proper coordination in the implementation of different programmes run by various Governments. More than 4,000 schools with over two lakh children are being rehabilitated under almost 100 projects, which is woefully inadequate and which is not sufficient for us to eradicate poverty and to provide free or affordable access to quality education with interesting, innovative job-oriented curriculum.

Now, as a public representative, quite often I meet up with children who have run away, and I have tried to put them under one roof. In fact, as part of my Constituency, when I have allocated funds, I have asked for such schools and hospitals to be kept with old-age homes so that children will have surrogate parents and come to know of love, discipline and sharing; and the older people who have no children to look after them, will also have common areas of giving and loving.

Now, when you look at the six crore working children, by all means in the world statistics, this is the largest workforce population. Earlier, the Government in its wisdom had planned that they will eradicate all child labour. It was not always a happy experiment for us because it then prevented the child from getting any kind of supplementary income for the house. It was not the deterrent for family planning, and then these children, in turn, stopped because there was not enough monetary supplement in their families. So, the parents could earn only around that much. Children were viewed as a liability. But they were sent out to work nevertheless and there was no law which protected them after they went. They were the guilty ones, and further the law only harassed them saying: "Why did they go to work?"

Now, in view of all this, my requirement is that we form a National Commission for Children. We should constitute a National Commission for Children whereby we can ensure that there is no discrimination; that all matters concerning children, in the best interest of the child, will be primary, not because he or she belongs to somebody or the other; that the right of the child to life, survival and development will be recognised and protected; that the right of the child to express views freely in all matters affecting him or her, will be encouraged and protected; and that this concern for the child should be attributed to acceptance that the child is the most vulnerable to abuse and exploitation.

Can you imagine the plight of a young child who goes to work in a field perforce? Quite often, you see the girl child acting as the mother of her younger brothers or sisters, who will cook not just for herself but for the whole family because the parents are toiling in the soil. She is denied the right to education because she is more useful in the home. Then, after that, this girl child is discriminated against. Studies will endorse that even the mother's breast

feeds the male child far longer than the girl child because the male child is viewed as socially useful and productive at the end of the life span of their parents whereas the girl child is discriminated against. Most of them have been sexually exploited by the age of seven or eight. More and more horrifying stories of minor rapes are heard. Even today, the House was witness to complaints on an issue raised that a nine-year old child was raped.

These kinds of horror stories have been coming around. Despite all these policies, programmes, and laws like the Juvenile Justice Act 1986, and the Child Labour (Prohibition and Regulations) Act, 1986, the child remains the most exploited and abused section of our society. Over 20 million children are enslaved as bonded labour, 380 million children are kept away from schools. Malnutrition of children continues unabated, taking a heavy toll of the infants. Though our infant mortality rate has come down, still it remains distressingly high. Over one million children are forced into prostitution every year by their very own parents or by the so-called guardians, or are sexually exploited by their family, relatives or by whatever the friendly neighbourhood uncles, as they call them.

Countless children are seen − which is an act of national shame for all of us − begging at crossroads, at traffic lights and at tourist centres. You know that they are not alone; they are part of organised gangs, who kidnap these children, maim them and force them into physical labour. Most of these gangs are dangerous. They get these children addicted to drugs and they use them for drug smuggling. Most of these children particularly in Delhi and other urban areas are run away children and they rob and steal to sustain their smoke and brown-sugar habits. Hence, you will see a lot more rise in drug taking.

So, it is necessary now for us to lay down by law, the basic rights of all children including street children. Who are these street children? As I have defined before, these are children with no known recognised guardian by law, with no known parents by birth or by law, children who have wilfully run away from home, juveniles who may have committed some crime and hence are not claimed back by their own families, children who have been abandoned and children who are wealth of our nation. They are bonded children, they are engaged in begging and they are children of sex workers who face the problem of identity of society. We need to provide an administrative mechanism for protecting and promotion of these rights.

Many a time in this House, we have come out with lofty ideals and thoughts, but nothing much has been implemented. Why is it urgent and important for us to invest in these children today? It is because there is an acceleration and development in information technology in our world, as the world has shrunk into global villages and communication has overtaken all of us. In a world that has compressed the future into today and tomorrow, if we do not invest in this wealth of India, then we are going to bring up a nation of delinquents where social crime can rise which would affect the fundamental fabric of safety and civil society wilfully. This kind of intolerance will only be brought about by us, as a political failure, irrespective of what Governments we belong to.

To provide the infrastructure and to secure the street children, we must create a regulatory authority in each territorial division, as has been provided in clause 6 of the Bill. There has to be a nation-wide move for registration of all births.

MR. CHAIRMAN : Since there is no other Member from the Panel of Chairmen is present here, I would request Shri Palanimanickam to come and occupy the Chair, if the House agrees.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Yes, of course.

MR. CHAIRMAN: I hope that the House agrees to this.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Yes. Thank you very much.

16.59 hrs (Shri S.S. Palanimanickam *in the Chair*.)

In order to establish a forum for these children, it is necessary for us to set up a National Commission for the Street Children, by the Central Government which will then encompass and instruct all States to take up the basic rights like education, training, healthcare, rehabilitation, etc. We have provided, in clause 8, for the constitution of a 'Street Children Development Fund'. Therefore, when this Bill is enacted, it will involve an expenditure from the Consolidated Fund of India. It is likely to involve a recurring expenditure of about Rs. 4 crore per annum and a non-recurring expenditure of about Rs.2 crore. It is necessary for us to keep it as a revolving fund initially.

17.00 hrs.

Of course, as the Commission will take off, I am sure, it will find ways and means by which we can enhance the funding for this organisation. If we are clever, creative and sensitive to these needs, we will be able to invest in a talent-pool of these abandoned street children for work-targeted areas where we can train them in specialised

skills. We will be able to create employment and more importantly self-employment. We will be able to use them mutually for mutual benefit by both Central and State Governments as flag ships of development for our nation.

As I have said, we have to look into future generations to pave the foundation of a healthy, vibrant, strong, and self-reliant republic which can only be brought about by a safe and secured child of this country. It is a shameful neglect that when we allow our beaches to be exploited by people from other nations, they come and sexually exploit our children. If you look at what happens in our own homes where domestic help and child labour are misused, it also makes us look like a nation of indifferent and cruel adults who have pre-meditatively and deliberately robbed the children of the gift of their childhood innocence, the right to be protected, the right to be loved, the right to be educated, and the right to be a future of this Independent India.

Hence, I would request all my respected colleagues to please support my Resolution about the need for a National Commission for Children. It should be constituted with all urgency. Since the current Government says that India is shining and if it is really shining, then let there be some sunshine in the lives of these street children also.

MR. CHAIRMAN : Resolution moved:

"Taking note of--

(a) the fact that despite our country having signed the UN Conventions on the Rights of Children, attaining these rights remains a far cry;

(b) the fact that child in India continues to be much exploited and abused, in so far as--

(i) sizeable percentage of children work in hazardous factories and mines including fireworks, match factories, carpet factories, slate and pencil factories; and are sent out to work on fields and as domestic help in house-holds, bars and restaurants;

(ii) a large number of children are engaged in begging;

(iii) many more are forced into flesh trade and to work as sex workers;

(iv) adolescence of a large percentage of girls ends up in motherhood; and

(v) atrocities on girl child start not on their birth but even before birth; due to female foeticide, resulting in alarming fall in sex ratio.

(c) the fact that there is no plan of action to implement the Right to Education provided under article 21A of the Constitution,

this House is of the opinion that a National Policy for Children be formulated and a National Commission for Children be set up at the Centre and in States."

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं श्रीमती रेणुका चौधरी जी के द्वारा प्रस्तावित बाल कल्याण के संदर्भ में जो बिल लाया गया है तथा उनके द्वारा अंत में जो बात कही गई है कि एक राट्रीय बाल आयोग स्थापित किया जाए, राट्रीय बाल नीति का निर्धारण किया जाए, मैं उस बात का समर्थन करता हूं।

क्योंकि आज का बालक कल राट्र का भावी कर्णधार बनेगा। किसी भी देश की सम्पत्ति, वहां के बैंको में रखा हुआ धन-दौलत, रुपया-पैसा, चांदी के सिक्के या कागज के नोट नहीं होते, अपितु वहां का बालक ही राट्र की सम्पत्ति होता है। जैसे morning shows the day, child shows the man. कहा गया है। जिस प्र ाकार प्रातःकाल में पता लगता है कि आज का दिन कैसा होगा, उसी तरह से एक बालक से पता लगता है कि वह आगे जाकर कैसे मानव का निर्माण करेगा। इसलिए बालक की महत्ता अपने आपमें बहुत अधिक है। इसलिए उस बालक को आगे बढ़ने के लिए, संस्कारित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, देश का योग्य नागरिक बनाने के लिए, भारत माता की श्रेठ संतान बनाने के लिए जैसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, वह सारे देशवासियों तथा सरकार का कर्तव्य है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती रेणुका जी ने प्रारम्भ में जो शब्द कहे कि एन.डी.ए. के लोग कहते हैं कि इंडिया शाइनिंग, भारत उदय हो रहा है, भारत चमक रहा है, लेकिन उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं कि जिन्हें रतौंधी का रोग हो जाता है या जिनकी आंख में एक ही पक्ष रहता है, उन लोगों को शायद यह दिखाई नहीं दे रहा है। अन्यथा जब पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने स्वयं अपना जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। उन्होंने केवल इसी धारणा और भावना को लेकर ऐसा किया था कि ये बालक ही राट्र की सच्ची सम्पत्ति हैं, यही बालक आगे जाकर कुछ बनेंगे। इसलिए आज बालक का विकास करने के लिए इतने सारे स्कूल्स, कालेजिज, प्राइमरी पाठशालाएं, नर्सरी स्कूल्स, सबको पढ़ने का अवसर, निःशुल्क पुस्तकें तथा सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जो डैस्टीट्यूट चिल्ड्रन होम्स और नैगलैक्टेड चिल्ड्रन होम्स के ऑर्फनेज होते थे, उनको चिल्ड्रन होम्स का नाम देकर वहां उनकी सुख-सुविधा और पढ़ाने के इंतज़ाम किये जाते हैं। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, जो इधर-उधर रद्दी इकट्ठा करने वाले बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। भारत में उन बालकों के विकास के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। यह कहना कि बच्चों के विकास के लिए कुछ नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वह के वल एक पहलू है। हमें सारे पहलू देखने चाहिए। यह ठीक है कि भारत देश की परिस्थितियां अलग हैं। अमेरिका का चश्मा चढ़ाकर शायद रेणुका जी कहना चाहती हैं कि आज अमेरिका हिन्दुस्तान के कालीन उद्योग को नट करना चाहता है, अमेरिका हिन्दुस्तान के कुटीर उद्योगों को नट करना चाहता है, अमेरिका हिन्दुस्तान की

कॉटेज इंडस्ट्री को नट करना चाहता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान का लड़का स्कूल में जब जाएगा तो स्कूल में पढ़ाई करेगा। स्कूल के बाद अपने बाप के साथ खेत में जाकर काम करने में वह गौरव का अनुभव करता है। वह खेत की पिराई में गौरव का अनुभव करता है और माता-पिता के काम में हाथ बँटाता है। मान्य वर, एक कारपेन्टर होता है, और एक लोहार होता है। एक लोहार का बच्चा अपने पिता के साथ काम जितना सीख सकता है जितना स्किल प्राप्त कर सकता है, उतना स्किल बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग प्राप्त करके नहीं पा सकता। एक कुम्हार का लड़का खिलौने बनाता है, मटके बनाता है, उसे पिता के साथ रहकर सीखने का जो अ वसर मिल सकता है, वह कहीं नहीं मिल सकता। â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी : जिन बच्चों के माँ-बाप हैं, उनके बारे में यह नहीं है। यह उन बच्चों के बारे में है जिनके माँ-बाप नहीं हैं। â€¦ (व्यवधान)

PROF. RASA SINGH RAWAT :I understand. I am coming to that point also. हमारे यहां जितने रईस लोग हैं, वे केवल मगरमच्छ के आँसू बहाते हैं।

'श्वानों को मिलता दूध-भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं,

माँ की छाती से लिपट बस सिसक-सिसक रह जाते हैं'

ज़मींदार कौन हैं? एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं बन जाती हैं। मान्यवर, रेणुका जी मुझे क्षमा करेंगी, आज तक देश में किन लोगों का शासन था? पिछले 45-50 सालों से कांग्रेस का शासन था और जिस पार्टी से वह संबंधित हैं, उस पार्टी का शासन था। हम लोग पांच-छः सालों से शासन में आए हैं। आखिर उन बच्चों के लिए ज़िम्मेदार कौन है? अगर बच्चों के बारे में आप इसी प्रकार के दृश्य उपस्थित करना चाहती हैं तो उन बच्चों के शोषण के लिए, उनकी दयनीय स्थिति के लिए, उनको अनाथ बनाने के लिए कांग्रेस के शासन के लोग ज़िम्मेदार होंगे। मैं समझता हूँ कि भारत चमक रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है।

श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या बात कर रहे हैं? â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : She has only given her views. She is not accusing anybody.

...(*Interruptions*)

PROF. RASA SINGH RAWAT : Sir, at the beginning she was mentioning about `India shinning', what is shinning and how it is shinning, and all those things...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: She has only given her views.

श्रीमती रेणुका चौधरी : 4500 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, वह इंडिया शाइनिंग है? बेरोज़गार बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, वह इंडिया शाइनिंग है? â€¦ (व्यवधान)

PROF. RASA SINGH RAWAT : Who is responsible for that? The Congress is responsible for that. ...(*Interruptions*) They are responsible for it. They have ruled this country for 40 years...(*Interruptions*) Rome was not built in a day.

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : आप चाहती हैं कि पाँच सालों में वह सब कुछ हो जाए जो पचास सालों में आपने नहीं किया? â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address to the Chair.

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : पचास सालों की बात ये कर रहे हैं। आपने पांच सालों में क्या किया वह बताइए। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Bhuria, he is not yielding.

श्री श्याम बिहारी मिश्र : सरकारों की बात न करो, यहां बच्चों की बात करो। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Mishra, please take your seat.

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर सभापति महोदय, एनडीए की सरकार को श्रेय जाता है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसको श्रेय जाता है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है कि बालकों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा। ऐसा संविधान में संशोधन लाने वाली एनडीए की सरकार है। ये लोग इतने दिनों तक ज़बानी जमा खर्च करते रहे। हम लोग जो भी कहते हैं, वैसा करते हैं। हमने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कर रहे हैं। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

श्री कांतिलाल भूरिया : आपकी सरकार बच्चों के लिए पांच सालों में एक करोड़ रुपये भी नहीं दे पाई होगी। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except what Shri Rasa Singh Rawat is saying, will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

प्रो. रासा सिंह रावत :

"सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से"

मान्यवर सभापति महोदय, जब तक इनका शासन था, तब तक इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं

सोचा। इनकी तो यही स्थिति है कि -

" निकले हैं कहां जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां इनको मालूम नहीं

इन राहों में भटकने वालों को मंजिल की दिशा मालूम नहीं"

महोदय, आने वाली शताब्दी का सबसे सिरमौर देश भारत होगा - इस विजन को लेकर हमारे राट्रपति महोदय और हमारे प्रधान मंत्री महोदय चल रहे हैं। र्वा 2020 के अंदर दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्धिशाली और सबसे सुखी देश भारत होगा। इस एक लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, किशोर हो, विद्यार्थी हो, श्रमिक हो या मजदूर, हर नागरिक देश में प्रगति की ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। जिस प्रकार से भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया माना जाता था, जिस प्रकार से भारत प्राचीन काल में विश्वगुरू था, जिस प्रकार से भारत में दूध-दही की नदियां बहती थीं, उसी प्रकार का भारत बने, इसी उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर यह सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय, मैं रेणुका जी की इस बात से सहमत हूं कि बालकों का शोाण नहीं होना चाहिए, बालकों को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, बालकों को आगे बढ़ने और पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, गरीबों को बच्चों को बेचने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि अरब के शेखों को हिन्दुस्तान के बालकों को अपने शौक पूरे करने के लिए यहां से खरीद कर अरब देशों में ले जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वहां हमारे देश के बच्चों को ऊंटों की पीठ से बांधकर और ऊंटों को बहुत तेज दौड़ा कर वे रेस का आनन्द लेते हैं जिसमें छोटे-छोटे बच्चों की रो-रो कर और चिल्ला-चिल्ला कर मृत्यु हो जाती है। ऐसा करने से उन्हें रोकना होगा और अरब देशों के लोगों को भारत से बच्चे खरीद कर ले जाने पर रोक लगानी होगी, यह बन्द होना चाहिए।

*Not Recorded.

हिन्दुस्तान का भविय बालकों के भविय में छिपा है। बालकों को उनके पढ़ने, बढ़ने और उन्नति करने हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अवसर देना जहां सरकार का परम कर्तव्य है, वहीं कल्याणकारी राज्य का यह भी दायित्व है कि गली और मोहल्लों में बेकार घूमने वाले अनाथ बच्चों को अच्छे नागरिक बनने का अ वसर प्रदान किया जाए, चाहे फिर वे दर-दर भटकने वाले बच्चे हों, अनाथ हों, गरीब हों, सभी की उन्नति होनी चाहिए। इसमें जहां कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी बनती है वहां समाज का भी कर्तव्य है कि वह आगे आए और ऐसे बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करे। गुजरात के अंदर इतना भीाण भूकम्प आया कि गुजरात के अनेक शहर तहस-नहस हो गए, लेकिन उसे संवारने और सुधारने का जहां सरकार ने प्रयास किया वहीं देश के कई सामाजिक संगठनों और एन.जी.ओज. ने आगे बढ़कर सहयोग किया। बच्चों को गोद लेने हेतु कांडला और गांधीधाम में आश्रम बनाए गए, जहां भूकम्प में मारे गए लोगों के अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्हें पढ़ाने और उनके विकास हेतु काफी आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिल रही है वहीं सामाजिक संस्थाओं एवं एन.जी.ओ. संस्थाओं की ओर से भी मिल रही है। इस प्रकार उन अनाथ बच्चों को ममता, स्नेह और वात्सल्य प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, इस रिजोल्यूशन में जो पाइंट दिए गए हैं कि भूख से व्याकुल बच्चों, भीख मांगने वाले बच्चों को भूखों नहीं मरने दिया जाएगा, उन्हें बसाने और उनकी उन्नति का प्रयास किया जाएगा, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अनेक ऐसे उद्योग हैं जैसे मिर्जापुर और भदोही में कालीन उद्योग, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग, जहां बच्चे पढ़ने के बाद अपने माता-पिता के साथ काम में हाथ बंटाते हैं और उद्योग की बारीकियों को समझते हैं, सीखते हैं और होशियार बनते हैं। शिक्षा के नाम पर उन्हें बेरोजगारी की ओर प्रवृत्त किया जाए, इसका मैं विरोध करता हूं। शिक्षा इस प्रकार से दी जाए जिससे बच्चे शिक्षा के साथ-साथ उन्हें अपने माता-पिता के साथ काम करने और उद्योग की बारीकियां समझने और सीखने का भी अवसर मिले। इससे उन्हें मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कुछ विदेशी संस्थाएं बच्चों द्वारा काम कराने के आधार पर भारत को विश्व में बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। इसी प्रकार की कुछ संस्थाएं भारत में बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, कुछ एन.जी.ओ. संस्थाएं उन्हें पढ़ाने के नाम पर अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर उन्हें दी जाने वाली सहायता को डकार जाती हैं जिससे गरीब बच्चों का कल्याण नहीं हो पाता। वे संस्थाएं और इस प्रकार के लोग केवल प्रदर्शन और दिखावा करते हैं। समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर धन को हड़पने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मुक्ति मिलनी चाहिए।

महोदय, Morning shows the day, child shows the man. प्रातःकाल से पता लगता है कि आज का दिन कैसा होगा और बालक से पता लगता है कि आगे चलकर वह कैसा मानव बनेगा। इसलिए समाज, सरकार, एन.जी.ओज., जनप्रतिनिधि सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता है और हम सभी का कर्तव्य है कि बालकों का शोाण न हो और जहां शोाण हो रहा हो, उसे रोका जाए। इसी प्रकार जहां बाल-अपराध हो रहे हों, उन्हें रोका जाए। इसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है, यह भी देखने की आवश्यकता है।

इसलिए जब तक बच्चों के प्रति मन के अंदर ममत्व और आत्मीयता का भाव जागृत नहीं होगा तब तक उन बच्चों को सही दिशा के अंदर निर्देशित करने की, उनका पालन-पोाण सही करने की बात नहीं हो पाएगी।

महोदय, इसमें दो-तीन प्वाइंट्स बहुत अच्छे हैं। आज बड़े-बड़े क्लिनिक खुल गए हैं, वहां माता-पिता जाते हैं और परीक्षण करा लेते हैं। अगर उन्हें पता लगता है कि लड़की होने वाली है तो वे एबोरशन या भ्रूण हत्या करने का दुकृत्य कर लेते हैं। परिणामस्वरूप असंतुलन पैदा हो रहा है, हमारी जनसंख्या में महिलाओं की संख्या घट रही है और पुरुाों की बढ़ रही है। यह असंतुलन आगे जाकर समाज के अंदर कई विकार पैदा कर देगा। कई बार लोग बच्चों को नौकरी के बहाने होटलों या अन्यान्य स्थानों पर ले जाते हैं। जहां उन्हें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वहां उसके स्थान पर उनसे सुबह से शाम तक काम लिया जाता है और उन्हें पूरी तनख्वाह भी नहीं दी जाती है। उन्हें भूखा-प्यासा रखा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार एवं अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ये सारी बातें रोकी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्रालय, बाल कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इसके साथ-साथ जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं, उस मंत्रालय की मंत्री महोदया यहां विराजमान हैं, इनमें और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी देश के अंदर बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, उन्हें पढ़ने का अवसर मिल सके। श्रम मंत्रालय भी इस बात को देखता है कि बच्चों का कहीं शोाण तो नहीं हो रहा है। श्रम मंत्री जी यहां विराजमान हैं, ये सब लोग इस बात को पूरे ध्यान से रख

रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के बालकों का सर्वांगीण विकास होने के लिए उन्हें शिक्षा के समय में शिक्षा मिले और रोजगार के सही अवसर मिलें। उनका कोई शोाण न करे और उनके साथ कोई अत्याचार न करे तथा उनसे कोई भीख न मंगाए तथा छोटी-छोटी बालिकाओं की बचपन में शादी न हो। ये जो समाज में कुछ कुरीतियां हैं कि माता-पिता छोटे-छोटे बच्चों की बचपन में शादी कर देते हैं, उस समय उनका जो पूर्ण विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। वे बच्चियां किशोर अवस्था में ही मातृत्व अवस्था में ढल जाती हैं। हालांकि बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट बना हुआ है, लेकिन उसका पालन जितना आवश्यक है उतना नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार और समाज को चाहिए कि ऐसे कानूनों की पालना भली प्रकार से हो और सामाजिक संगठनों को चाहिए कि वे समाज के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करें ताकि बच्चों के शोाण को रोका जा सके, उनकी बचपन में शादी न हो। भ्रूण हत्या वगैरह जो अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, वे भी न हों। इसके अलावा शिक्षा बच्चों को अवश्य मिलनी चाहिए। बालक को पशु से मानव बनाने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा है, अच्छे संस्कार लाने वाली चीज शिक्षा है। बच्चों में सारी प्रतिभाएं होती हैं, उन प्रतिभाओं को शिक्षा के माध्यम से ही आगे लाया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया है। कम्पलसरी एजुकेशन और मौलिक अधिकार भी दिए हैं और सरकार ने गांव-गांव में सर्वशिक्षा अभियान को चला कर करोड़ों रुपए खर्च करके निरक्षरता को मिटाने के लिए, साक्षरता का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्राथमिक पाठशाला तक तमाम बच्चों को लाने के लिए प्रबंध किए हैं। अगर बच्चा शाम को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की है। इन सब के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार बहुत प्रयत्नशील है। फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि जब हम हर बात की नीति तय कर रहे हैं - जनसंख्या नीति, राट्रीय दूरदर्शन की नीति या नेशनल टेलीकॉम पालिसी, तो मैं समझता हूं कि बच्चा जो समाज का महत वपूर्ण घटक है, वह भी आगे जाकर एक अच्छा नागरिक एवं श्रेठ मानव बन सके। वह देशभक्त और संस्कारी व्यक्ति बन कर भारत-माता की सेवा करने के लिए तन-मन-धन से कटिबद्ध हो सके। उसका निर्माण सही दिशा में हो और उसका शोाण रुके। उसके लिए राट्रीय बाल नीति अवश्य तैयार की जानी चाहिए, राट्रीय बाल आयोग की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए।

महोदय, हमने यूएनओ में भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रम कानूनों के माध्यम से, शिक्षा संबंधी कानूनों के माध्यम से और समाज कल्याण संबंधी कानूनों के माध्यम से बच्चों के लिए अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन सारे कदमों की जानकारी आम जनता को मिल सके, इसके बारे में भी हमें जानकारी उपलब्ध कराने का प्र ायास करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हमें बालकों के मामले में पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर राट्र के व्यापक हित में राट्रीय बाल नीति बनाने की बात और राट्रीय बाल आयोग बनाने की बात का समर्थन करना चाहिए और एक दूसरे पर दोाारोपण करने के स्थान पर हमें चाहिए कि वास्तव में आज का हमारा जो बालक है, वह कल राट्र का भावी कर्णधार बन सके, चाचा नेहरू के सपने पूरे हो सकें और माननीय अटल जी ने बालकों के अन्दर जो स्वर्णिम भविय देखा है, वह स्वर्णिम भविय का सपना साकार हो सके, इसके लिए समाज को और सरकार को, सब को मिलकर प्रयास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेणुका जी के प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री बालकृण चौहान (घोसी) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर संकल्प माननीय रेणुका चौधरी जी ने पेश किया है कि राट्रीय बाल नीति के तहत केन्द्र तथा राज्यों में राट्रीय बाल आयोग स्थापित किये जायें, मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ इसमें जो तथ्य दिये गये हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में बालकों का जो शोाण इस देश में हो रहा है, वास्तव में उसका कारण क्या है। यह राट्र की आर्थिक नीतियों की वजह से देश के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनको पढ़ने-लिखने का अवसर मिलना चाहिए, खेलने-कूदने का अवसर मिलना चाहिए, उनको वात्सल्य, ममता का अवसर मिलना चाहिए, जबकि वे खानों में, कल-कारखानों में, खेतों में, फुटपाथों पर, रेस्टोरेंट में, होटलों में और घरों में काम करने को क्यों बाध्य हैं। इसके लिए कोई अलग से विशिट रूप से बाल नीति में किस तरह से इसे आप अलग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि वास्तविक रूप से बालकों के हितों के बारे में सोचने के लिए समग्र रूप से राट्रीय आर्थिक नीतियों की विवेचना और समीक्षा करनी चाहिए।

माननीय रेणुका चौधरी जी ने मुख्य रूप से उन बच्चों को चिन्हित करने की बात कही है, जो उपेक्षित हैं, जो कमजोर और गरीब तबकों के हैं, जो अनाथ हैं और स्वाभाविक भी है कि जो समाज के अमीर और धनाढ्य तबकों के लोग हैं, उनके बच्चों की परवरिश, पोाण, शिक्षा, सारी कुछ चीजें, जो जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं हैं, वे उपलब्ध हो जाती हैं। देश के बहुसंख्यक बच्चे, जो अपने मानवाधिकारों से वंचित हैं, यह आज सदन में चिन्ता का विाय बना हुआ है। उसके बारे में समाज को और सरकार को सोचना है। वास्तव में बालक समुदाय नागरिकों की नर्सरी होती है। कुछ उम्र के बाद वही देश के नागरिक होते हैं। राट्रीय युवा नीति में सरकार से 13 वा से 35 वा की आयु तक के बालकों को युवा वर्ग घोाित किया है और उसमें दो वर्ग भी बना दिये हैं, एक 13 से 19 वा और दूसरा 20 से 35 वा तक के लोगों का है। उसके बाद जीरो से 13 वा तक की आयु के बालक रह जाते हैं, उनके बारे में वास्तव में कोई न कोई नीति बननी चाहिए। क्या कारण है कि वे उनके अभिभावक या माता-पिता किस मजबूरी में उनको फुटपाथ पर कचरा बीनने के लिए छोड़ देते हैं या अन्य छोटे-मोटे काम या बंधुवा मजदूरी के लिए उनको बेच देते हैं। उस कर्ज की एवज में वे उस बच्चे को जिंदगी भर किसी साहूकार या किसी और व्यक्ति के हवाले कर देते हैं। जो उसकी सारी मानवीय गरिमा को, बाल सुलभ चंचलता को खत्म कर देता है। जो बाल श्रमिक कानून बने हुए हैं, जो बंधुआ श्रमिकों के लिए कानून बने हुए हैं, शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार के रूप में पेश किया गया है लेकिन वे सब अधूरे हैं। इन् सब चीजों को मिलाकर बच्चों के अधिकारों के बारे में एक नीति बनानी चाहिए, एक पालिसी तय करनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में बच्चों का मसला संवेदनशील है। भौतिक रूप के साथ-साथ वह एक जज़्बाती मसला भी है। इसलिए सरकार और संसद को इसका संज्ञान लेना अति आवश्यक है। वह नागरिकों की जड़ है, समाज की मूल कड़ी है तथा वहीं से समाज बनना है इसलिए इनके हितों की चिंता के बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उनके निदान के लिए रास्ता तलाश करना चाहिए। काफी समय से इस दिशा में कुछ काम नहीं हो पाया है। जो तथ्य इसमें दिये गये हैं, जो अखबारों में हैं, जो समाज में हैं, उसे सारे लोग जानते हैं। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से बच्चों का शोाण हो रहा है। आप चाहे फुटपाथों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, ढ़ाबों आदि कहीं भी देखें, आपको पांच साल के छोटे-छोटे बच्चे प्लेट धोते नजर आयेंगे। यह बहुत दुख का विाय है। इसे कैसे रोका जाये ?

मेरा मानना है कि उनके जो अभिभावक हैं, कोई न कोई कारण होता है चाहे उनको गरीबी मजबूर कर रही है या कुछ और है, अपना और अपने माता पिता का पेट भरने के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहां पर जो आयोग बनाने की बात की गयी है, यह अपने आप में सही है लेकिन बाल आयोग बनाकर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो भी नीतियां हैं, राट्रीय नीतियां हैं, समग्र रूप से उन नीतियों में बाल नीति को समाहित करके ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

जो अनाथ बच्चे हैं यानी जिनके माता-पिता मर गये हैं, उनके जीवन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। ये निराश्रित बच्चे आज अराजक तत्वों, समाजविरोधी तत्वों के हथियार बने हुए हैं चाहे स्मगलिंग हो या और इसी तरह के राट्र और देशद्रोही कार्य हों। वे बाल सुलभ बच्चे समझ नहीं पाते कि हम कौन सी चीज को यहां से वहां ले जा रहे हैं। वे नासमझी में उस काम को करते हैं। राट्रविरोधी तत्व उनका इस्तेमाल हथियारों के रूप में करते हैं। उनको भोजन, पोाण, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य की रक्षा आदि की तमाम चीजें मिल सकें, उनके जीवन में उसकी निश्चितता उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि राट्रीय बाल नीति बनाते समय उन गरीब नागरिकों के बारे में भी सोचा जाये और उन कारणों को भी दूर किया जाए जिससे किसी मजबूरी में उनके बच्चे अशिक्षित न रह जायें, पोाण से वंचित न रह जायें। कहीं श्रमिक के रूप में उसे मजबूरन काम न करना पड़े, बल्कि एक बालक का जो जीवन है, शून्य से लेकर कम से कम 15-16 वा तक उसे अपना पूरा समय, यानी पढ़ने लिखने और खेलने-कूदने का समय मिले। इसे निश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार ले।

श्रीमती रेणुका चौधरी जी द्वारा बाल नीति बनाने के लिए जो संकल्प पेश किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इस संकल्प को सदन पास करे।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I stand to support the Resolution moved by Shrimati

Renuka Chowdhury. In doing so, I have to point out the problems that are prevailing in our country. In the first place, the rate of infant mortality is the highest in our country when compared with that of the Western countries. Barring the State of Kerala, the rate of infant mortality is very very high. We will have to bring it down. When we speak about the welfare of children, we will have to pay attention to that aspect. I do not want to go into the details.

Then, I come to education in schools. The rate of dropouts is on the increase. The dropouts at the primary as well as the secondary levels are increasing year after year due to various reasons. There were States where free noon meal was served to children. But some of the States have stopped it. So, I would like to urge upon the Union Government to take immediate steps for restoring the supply of free noon meal to all the schools in the country on a uniform basis. The children up to 14 years of age must be provided with noon meal. That is the most important thing to prevent dropouts in the school classes from primary to secondary level.

There is another aspect also. Now atrocities on children are on the increase. The girls are kidnapped and sent to brothels. They are forced to work there as sex workers. This is another tragedy.

Then there are beggar groups travelling from one State to another. They kidnap children and take away their eyes. After blinding them, such children are sent for begging. This is also in the increase.

A very pitiable condition has occurred in our State. Now even parents commit suicide where they do not leave out the children. They will kill them also. When the parents commit suicide, they would not leave their poor children. They will be forced to take some poison or some such thing to kill themselves. It is not a suicide. I can understand suicides from grown-up parents. But why are these poor children killed like this? That has become a habit nowadays. So, the situation, as a whole, is not good.

In this background, I would like to draw the attention of the House to certain matters. Last time, the hon. Minister of Human Resource Development, Dr. Murli Manohar Joshi, introduced a Bill in the House for constituting a National Commission for Children. I had to oppose it on many grounds. I will tell you about one. Now 'child welfare' is in the Concurrent List. It is a duty of the Union Government as well as the State Governments to take care of the children. That is a constitutional obligation. Whether that obligation is discharged properly or not is another matter. When that Bill was introduced, I had opposed it on the sole ground that it did not provide for constitution of State Commissions in the States.

Without the State Commissions, there is no meaning in appointing a National Commission. The proposed Bill provided only for the appointment of a National Commission. It is not sufficient. So, we must have National Commission as well as State Commissions. So, the Standing Committee dealing with that Bill may give attention to it to see that the amendments are made to the Bill so that the National Commission as well as the State Commissions are provided in the proposed Bill. This is one point.

Now, we all know that the present Child Welfare Councils are only advisory in nature. They may get some grant or allowance for looking after the children or maintaining some children's homes. With that, the matter ends. They cannot effectively deal with abduction of children. Very, very serious penal crimes are committed everyday against the children, but the poor Child Welfare Council is a silent spectator. They cannot act. My suggestion is that these Councils must be converted into statutory bodies and they must be provided with an investigating agency capable of taking cognisance of penal offences. That must be done because abduction is a serious penal offence punishable under law with life imprisonment.

Abduction, seduction and then forcing a girl for illicit activities are all serious offences. Now, these offences are investigated by the ordinary police stations in spite of their huge works. They have a very huge volume of work in dealing with other criminal investigations. They may find little time to give their attention to the offences committed against the children. This can be effectively done if the Child Welfare Commissions appointed in the States are given powers. They must have some police personnel up to the rank of Dy.SP who is well versed with the investigation of criminal crimes. Whenever an offence against a child is committed, the Child Welfare Councils can take note of it and they can direct the investigating agency under them to register a criminal case and investigate it effectively.

Now, there is forced labour. Some factories are engaging children for doing very dangerous works. In all the match factories and in mining, these poor children are forced to work. If the State Welfare Council is given powers to investigate, they can immediately go there, take cognisance of it and order the investigating agency to proceed with. Then certainly such things may not happen. But entrusting with the ordinary police force will not be effective because they are in the midst of so many duties and works. So, they may not get time for effective investigation of the crimes committed against the children. So, these State Councils, if I may put it, must be given full powers to deal with these matters with all seriousness and the offenders must be booked immediately.

Suppose, a Manager of a factory is engaging children, immediate penal action is required. They must have powers

for that purpose. After all, these Child Welfare Councils do not have any power at all. They do not have any supervisory power at all. So, considering all these aspects, it is only just and proper that these bodies now functioning in the field of child welfare must be given powers for dealing with such situations. I hope that the proposed Bill will make amendments containing provisions for making these Commissions effective with more teeth to act. Then only, we can deal with the alarming situation that is now prevailing in the matter of child welfare. This is something which is highly essential. I hope that the Union Government as well as the State Governments will give their immediate attention in protecting the rights of the children guaranteed under the Constitution as well as agreed to in the United Nations Charter.

These are some of the salient points which we now have to address. I request the hon. Minister concerned to take these matters into consideration and bring a law which is quite adequate to deal with the situation.

With these words, I once again support the Resolution moved by Shrimati Renuka Chowdhury and I expect that there would be no opposition to it from any corner of the House.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Thank you, Mr. Chairman.

First of all, I congratulate Shrimat Renuka Chowdhury for drawing the attention of Parliament and the nation to resolve to follow the UN Convention on the Rights of the Children and protect the interests of the future generations.

No doubt, our President, Dr. Abdul Kalam has got a vision for the year 2020, that is, Vision 2020. If a child were born today, the Martyrs' Day when Mahatma Gandhi was assassinated, that child would grow up and ask for its rights at the appropriate time.

Ours is a nation where the children are regarded as divine gifts. We even worship child gods. Nowhere else in the world is this done. We worship Lord Krishna as Gokula Krishna, a child god who crawled in our streets to protect the universe. In the same way we worship Lord Ganesha and Lord Muruga as child gods. They were worshipped as child deities. Our nation has got a culture of creating divine powers in children. God has given powers magnanimously to children to protect the parents and also the society.

The parents derive great pleasure when they see their child for the first time but during the British rule children were not having much protection. During the freedom struggle, the Karachi convention of the Congress passed a resolution as early as in 1931 that women and children had to be protected in various ways and accorded special benefits. This has come into the Constitution of India in article 23 which deals with Prohibition of Trafficking in Human Beings and Forced Labour and in article 24 on Prohibition of Employment of Children in Factories, etc. article 38 (e) and (f) also give protection to women. While article 38 (e) says that children are not to be abused, article 38 (f) provides that children are to be given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity and childhood and youth are to be protected against exploitation. Article 45 provides for free and compulsory education for children. These are things now implemented by various enactments passed during the last 50 years or more, but during 1976 the nation could find out that only by controlling population the children's welfare could be properly taken care of. For that purpose, family planning was sought to be implemented but at that time the political parties could not come together to have it as a national policy. This was exploited and family planning was pushed aside. As a result of that, we have got plenty of children without proper care on the streets and in our rural areas.

But Tamil Nadu has got a very unique thing of having a Chief Minister, late Shri Kamaraj, who fought even as early as in 1960s that noon meal is an important part of the child. They need food for education and for skill development. Therefore, the noon meal scheme was implemented in Tamil Nadu. Subsequently, from 1991 to 1996, the Congress Government had implemented this scheme as a national programme. The late Shri Rajiv Gandhi had made a National Policy on the child labour as early as August, 1987. These are all things made according to the thoughts of the leaders at the appropriate time.

Late Pandit Jawaharlal Nehru's birthday is being celebrated, by his wish, as a Children's Day. But how are we protecting the lives of the children? Any life is to be protected whether it is a plant life or animal life. But here the human beings are now moving round the streets and begging for their food. This is high time where the nation can be gauged for the development not by the military forceâ€¦...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. The Minister is going to reply.

...(*Interruptions*)

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : Sir, I need only five minutes as still time is there for Six o' Clock. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please finish your speech within two minutes.

...(*Interruptions*)

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : We have to protect the welfare of the children by taking into consideration the body, mind and the intellect. The Vedas have said that it has to be developed by proper training and proper protection. The society has got the obligation to protect the welfare of the nation by bringing up the child with proper growth of both mind and also the intellect and it is only when this proper growth is there, the nation can be proud that we have got a full-fledged strength, dynamism of nation where the children have got every protection to fulfil their ideas, to come out with their own intellectual ideas and also to show their skills so that the people can have a better life in the adult age.

I know that the Government has only five more days for this purpose. But, at the same time, our bureaucrats have got the system to work out in the future Governments' also. So, for children's protection and proper growth, strict implementation is necessary whether it is during the period of election or otherwise. The implementation of the laws, which are already available, if they are properly implemented, then many of the problems of the children can be solved and the grievances can be settled.

I, once again, congratulate Shrimati Renuka Chowdhury for making this nation aware of this obligation to the rights of the children.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : सम्माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले विद्वान सदस्या बहन रेणुका जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस अति-महत्वपूर्ण संकल्प को सदन के पटल पर रखा है। उनकी जो चिंताएं हैं और उन चिंताओं के साथ सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसके संदर्भ में भी मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगी। उन्होंने अपनी चिंताओं में बहुत स्पट रूप से कहा है कि जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं क्योंकि अनाथ बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। इसके साथ-साथ उन्होंने अपने संकल्प में दोहराया है और चाहा है कि हमने जो संयुक्त राट्र बाल अधिकार कंवेंशन पर जो हस्ताक्षर किये थे, उससे बच्चों की स्थिति में क्या सुधार आया? दूसरी बात उनके संकल्प में यह है कि कल-कारखानों में, खदानों में काम करने वाले बच्चों की स्थिति में, भिक्षावृति में लगे बच्चों की स्थिति में, देह व्यापार में धकेली गयी किशोर बालिकाओं की स्थिति में क्या सुधार आया। अपनी चिंता भी उन्होंने अपने इस संकल्प में की है। दूसरी चिंता उन्होंने यह भी की है कि संविधान के अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत बच्चों को दिया गया शिक्षा का अधिकार पर्याप्त नहीं है।

इसमें अंतिम बात राट्रीय बाल नीति के संदर्भ में, केन्द्र में राट्रीय बाल आयोग के गठन के संदर्भ में तथा राज्यों के राज्य बाल आयोग के गठन के संदर्भ में है। माननीय सदस्या ने अपनी चिन्ता इस संकल्प में व्यक्त की है। माननीय सदस्या श्रीमती रेणुका जी का निजी विधेयक भी मंत्रालय को प्राप्त हुआ था जिस में उन्होंने राट्रीय बाल आयोग के गठन पर चिन्ता व्यक्त की थी और विधेयक में राट्रीय बाल आयोग के गठन की बात सुझायी थी। उसके संदर्भ में मैं उन्हें यह कह कर संतुट करना चाहूंगी कि वह पहले अपने संकल्प में उठायी गई चिन्ताओं के संदर्भ में यह देखें कि वर्तमान में सरकार के पास उपलब्ध क्या समाधान हैं? मैं सबसे पहले उन समाधानों की चर्चा करना चाहूंगी। 22 अगस्त 1974 को राट्रीय बाल नीति बनी। उसके अन्तर्गत बच्चों के जन्म पूर्व से जैसा कि मैं यह कहूं कि कोख से जब बच्चा गोद में आता है, गोद से बच्चा आंगन में खेलने आता है और आंगन से बच्चा पाठशाला में पहुंचता है तब तक कि सम्पूर्ण समुचित विकास की व्यवस्था इस राट्रीय बाल नीति के अन्तर्गत निहित थी। इसके साथ ही उसके सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के संदर्भ में जो सरकार की चिन्ताएं राट्रीय बाल नीति में दर्शायी गई हैं, उनका उल्लेख स्पट है। दूसरा, उसमें यह भी सुझाव था कि हम 6 से 14 वर्ा के बालक की समुचित शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास में मनोरंजन की जितनी भी गतिविधियां का संवर्धन कर सकते हैं, उन सब की भी हमें चिन्ता थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा कमजोर वर्ग के बालकों के लिए विशेा ध्यान उस नीति में अंकित है। यह वर्तमान में उपलब्ध समाधान हैं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि वर्तमान समय में जो निराश्रित, अनाथ, कमजोर, गरीब परिवार के पिछड़े बच्चे हैं, कृाक परिवार के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभावग्रस्त बच्चे हैं, शहरों में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए सरकार ने कई लाभकारी स्कीमें चलायी हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि संविधान का 86 वां संशोधन जो इसी सदन में 2002 में पास हुआ, उसमें 6 से 12 वर्ा के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व-शिक्षा अभियान नाम की योजना और महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लिए। यह बात आपके ध्यान में लाते हुए मुझे प्रसन्नता है कि प्रारम्भिक शिक्षा और वह भी प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा हर बालक को मिले, हमने इसकी व्यवस्था की है। राज्य सरकारों को इस काम के लिए जो धन दिया है उसका समुचित मूल्यांकन साथ-साथ चल रहा है।

बच्चों के हित में हमारे संविधान में पहले से ही जो प्रावधान हैं, मैं उनके बारे में भी जिक्र करना चाहूंगी। राज्य बच्चों के हित में विशेा प्रावधान कर सकते हैं। संविधान की धारा 15 (3) में इसका स्पट उल्लेख है। दूसरा, 14 वर्ा से कम आयु के बच्चों को कल-कारखानों, खदानों और कठिन परिस्थितियों में जो जोखिम भरे काम करने पड़ते हैं उनके ऊपर पूर्णरूपेण प्रतिबंध संविधान की धारा 39 (ड) में दिया है। इसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूं हो सकता है कि समाज में जागरूकता के अभाव में इन धाराओं को समझने में कई परिवार अभी समर्थ नहीं हैं जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा की वजह से कृाक और मजदूर परिवारों में ये स्थितियां स्पट हैं।

11 दिसम्बर 1992 को बच्चों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बाल अधिकार कनवैंशन जो रखी गई थी, उसके अन्तर्गत भारत में बच्चों के प्रति जो कर्तव्य तय थे और जिन के बारे में हमारा देश काफी चिंतित था, उसके साथ-साथ यह तय हुआ था कि बच्चों का परिवार, समाज से लेकर सरकार तक बच्चे के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और संवर्धन की जो स्थिति है उसे किस तरह लागू कर सकते हैं - समाज की जागरूकता इसमें बहुत अहम योग दे सकती है। मैं इसके साथ यह भी कहना चाहूंगी कि सरकार के साथ साथ समाज की अहम जागरूकता, के लिये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां श्रम विभाग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, महिला बाल विकास संबंधी अनेक जागरूकता के कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चे स्वस्थ, सुखी, शिक्षित हों उनका सफल विकास हो और वे देश की मुख्यधारा में जुड़ते हुये देश के सक्षम नागरिक बनने के लिये आगे आयें। उसके लिये बाल श्रमिक उन्मूलन की जो परिकल्पना है, वह श्रम विभाग की महती कल्पना है जिसमें बाल श्रमिक उन्मूलन के संदर्भ में कड़े कानून हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से उनका भी कार्यान्वयन हो रहा है।

सभापति जी, बाल भिक्षा उन्मूलन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो बालक और बालिकायें लगी हुई हैं, उनका कहीं न कहीं किन्हीं हाथो में पड़कर शोाण किया जाता है । किसी कठोर कानून की जागरूकता के अभाव में इसकी अनुपालना नहीं हो पाती है। मैं मानती हूं कि जिन विद्वान साथियों ने अपनी चिन्ता यहां रखी है, उसके साथ एक चिन्ता यह भी ले ली जाये कि इस कानून की क्रियान्विति के लिये सामाजिक जागरूकता पैदा करें। अवैध देह व्यापार उन्मूलन कानून हमारे हाथ

में है। किशोर बालिकाओं के सशक्तीरण के लिये पूरे देश के अंदर आज समेकित बाल विकास परियोजना को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से, हमने क्रियान्वित किया हुआ है। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगी कि जब कभी भी उन्होने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों से पूछा होगा तो उनके ध्यान में यह बात जरूर आई होगी कि किशोर बालिका सशक्तीकरण योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

सभापति महोदय, महिला-पुरुा के अनुपात को लेकर यहां चिन्ता जताई गई है। यह वास्तव में एक अहम चिन्ता का विाय है। हमें इस बात को देखना होगा। बहिन रेणुका जी ने कहा है कि बेटी को दूध कम पिलाया जाता है। मैं इसी क्रम में उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि बेटी या बेटा मां का खजाना है। यह कहना कि जब मां की कोख में बेटा होता है तो वह लाडला होता है और जब बेटी होती है तो कम लाडली होती है या मां बेटे को ज्यादा दूध पिलाती है, यह समाज की अपनी व्यवस्था है और समाज में महिला को हमने इस असहाय स्थिति मे पहुचाया है। आज सरकार इस बात को पहचान रही है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि श्रीमती सुामा स्वराज जी ने यह योजना लागू की है कि बेटी के जन्म लेने पर सरकार 500 रुपये देती है। बेटी के जन्म लेने पर यह केवल संवेदनशीलता पैदा करने वाली मात्र एक भावना पैदा करने वाली बातहै। बच्ची का जन्म बहुत उपयोगी जन्म है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बालक और बालिका का महत्व माता-पिता, परिवार, समाज और सरकार सब के लिये इतना महत्वपूर्ण है कि यह सृटि की सर्वोत्तम कृत्ति है और बालक या बालिका आगे चलकर एक पुरुा और महिला बनकर प्रकृति की संरचना करते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति को अनदेखा नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों की इस चिन्ता से उन्हें मुक्त कराना चाहती हूं।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि संविधान के 86वें संशोधन के मद्देनजर जो कदम उठाये गये हैं, वे प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्यता को लेकर उठाये गये हैं। श्रीमती रेणुका जी राट्रीय बाल विकास की चिन्ता को लेकर यह विधेयक लाई हैं जो मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि राट्रीय बाल आयोग के प्रस्ताव को सरकार ने 2002 में मंजूरी दे दी थी और उसके बाद यह राट्रीय बाल आयोग की स्थापना का पूर्ण दस्तावेज़ तैयार है। अभी श्री सुदर्शन जी ने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। आदरणीय डा. मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा बाल आयोग से संबंधित दस्तावेज़ दोनों सदनों के पटल पर रखे गये थे,

<u>18.00 hrs.</u>

और ध्वनिमत से वह चार्टर दस्तावेज अनुमोदित हुए हैं। राट्रीय बाल आयोग के संदर्भ में आपकी भावना के अनुसार मैं बताना चाहती हूं कि राट्रीय बाल आयोग का जो दस्तावेज है, यह विधेयक दिनांक 5.12.2003 को लोक सभा में पुनः स्थापित कर दिया गया है और शीघ्र ही यह आयोग के रूप में परिणित होकर पूरे देश के बालकों के संरक्षण का काम करेगा। इसके साथ ही माननीय सदस्य की चिंता थी कि राज्यों में भी बाल आयोग का गठन हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने राट्रीय बाल आयोग के दस्तावेज तैयार करने से पूर्व प्रत्येक राज्य के साथ इसकी चर्चा की है और चर्चा में यह सुझाव भी दिया है कि हम राज्यों में भी इसी प्रकार बाल आयोग की संरचना करें और मैं खुशी के साथ यह भी बताना चाहती हूं कि दो राज्यों ने इस पर अपनी सहमति भी दी है कि वे दोनों राज्य अपने यहां बाल आयोग का भी गठन करेंगे।

MR. CHAIRMAN : If the House agrees, we can conclude the business today itself. If the House agrees, we can extend the time of the House by ten minutes because she has to reply to the debate.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : Please extend the time of the House by 15 minutes because the other Resolution is also there.

PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): What about my Resolution? This is the last Session of this Lok Sabha and my Resolution is on a very important subject.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : She should be allowed to move her Resolution.

PROF. A.K. PREMAJAM : Actually, two hours were allotted for her Resolution, but that much time was not taken.

MR. CHAIRMAN: The time for the Private Members' Bills and Resolutions is up to six o'clock.

PROF. A.K. PREMAJAM : Two hours time was allotted for her Resolution, which was not exhausted. It means that there is extra time remaining. If the two hours have been taken for discussing that Resolution, then it could have gone beyond six o'clock.

MR. CHAIRMAN: She cannot avail that time, unless we extend the time.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): There is one request from our side. She can move her Resolution, but before that, there is one Repeal Bill which may please be taken up because it will not take more than a minute.

MR. CHAIRMAN: After taking the sense of the House, we will take up that.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: After Shrimati Renuka Chowdhury's reply, Prof. Premajam can move her Resolution.

MR. CHAIRMAN: Only when the Minister concludes, she can reply.

If the House agrees, till the business before the House is over, the time of the House will be extended.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

श्रीमती जसकौर मीणा : माननीय सभापति जी, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाये हैं। बालकों के सबलीकरण के लिए आपने बाल चार्टर, बाल आयोग के संदर्भ में निवेदन किया है, लेकिन भ्रूण परीक्षण को लेकर जो एक तरह से लिंग परीक्षण की व्यवस्था थी, उस संदर्भ में भी सदन ने एक कानून पास किया है कि भ्रूण परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके साथ-साथ बच्चों की उत्तरजीविका, स्वास्थ्य वृद्धि, समुचित विकास, सुरक्षा, उनके आगे के भविय के निर्माण में विकासोन्मुख गतिविधियों को लेकर भी सरकार ने अनकों बार इस तरह से प्रस्ताव आपके सामने रखे हैं। इसमें मैं यह सोचती हूं

कि वर्तमान सरकार ने जिस तरह के कदम उठाये हैं, आज 56 वा देश को आजाद हुए हो गये हैं। 50 वा तक भले ही किसी एक विचारधारा का शासन रहा हो, लेकिन विगत छः वा के अंदर बाल दिवस के दिन हमने पूरे देश के बच्चों से पूछा है। अभी तक वन-वे-ट्रैफिक था। एक तरफ हम नीतियां, पालिसी और चार्टर बनाकर देते थे। लेकिन हमने गत 14 नवम्बर को देश के हर जिले में बच्चों से पूछा है कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, माता-पिता से क्या चाहते हैं, समाज से क्या चाहते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सात हजार बच्चों ने हमें जवाब लिखकर भेजे हैं। उनके जो विचार हैं, उन्हें हम बाल नीति, बाल विकास की गतिविधियों के अंदर समाहित करेंगे। बच्चों ने इस पर इतने उत्तम विचार दिये हैं कि वे मां-बाप से कुछ चाहते हैं, समाज से भी कुछ चाहते हैं और सरकार से भी कुछ चाहते हैं और

<u>18.04 hrs.</u> (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair)

वातावरण से भी कुछ चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्या ने जो यह अति महत्वपूर्ण संकल्प सदन के सामने पेश किया है, इसके प्रति सरकार चिंतित है और चिंता के साथ सरकार ने विगत छः वाँ में जो कदम उठाये हैं, जिस विधेयक, बाल आयोग की संरचना और बाल चार्टर के दस्तावेज को जो मंजूरी यहां दी गई है, उसके संदर्भ में मैं आपको विश्वास दिलाते हुए कहूंगी कि अब तो आपको खुशी होगी और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना महत्वपूर्ण विाय यहां उठाया और हमारी सतर्कता में वृद्धि की। मैं सतर्कता और विश्वास के साथ आपको बताना चाहती हूं कि सरकार सतर्क है। बच्चे हमारे देश का भविय हैं और इस भविष य को सुधारना, विकसित करना, सुरक्षित रखना हमारा ही नहीं, सरकार का ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज का भी दायित्व है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि माननीय सदस्या की जो इच्छाएं और अपेक्षाएं थीं, वे सरकार पहले ही पूरी कर चुकी है। इसलिए मेरी प्र ार्थना है कि इस विधेयक को वह वापस लें।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, I thank the hon. Minister for having given me a very patient hearing as well as a very elaborate reply.

Having said that, I would also like to caution the Government not to rest on what we assume are adequate measures. If you look at the history of India and the social bias against the girl child, despite all the progress and so-called development that we have made, the situation of the girl child and her status in the society has never been as worse as it is today. There is gender discrimination, laws and legislations that inadvertantly reinforce that discrimination, as well as social norms, cinemas, depiction of women in advertisements, and various other areas where women have come in. On the one hand, we have women on the plus side where we have them in competitive examinations, excelling in all fields, breaking into male bastions and shattering the glass ceiling. On the other hand, more and more discrimination is being seen and science and technology is being used against even the birth of a girl child. We have amniocentesis with horrifying results. You look at the situation. It has never been a worse scenario for a girl child in India.

So, we must look into this social disease and find a way by which we can interpret, translate and transform India, if you really want a 'Shining India' to be a safe place. Mahatma Gandhi said that the day when a woman can walk fearlessly in the middle of the night on the streets safely is the day when India truly becomes independent and liberated. We cannot even sit in a train without chains being snatched. We cannot get married without being burnt for dowry. So, there is somewhere a social disorder. All of us must collectively work towards recognising, respecting and accepting a girl child. Today, for unfortunate reasons, boys are equally sexually exploited in various areas.

Having said that and having cautioned the Government, I will now thank all my colleagues for all the support that they have lent me and seek leave of the House to withdraw my Resolution.

MR. CHAIRMAN : Does the hon. Member have the leave of the House to withdraw her Resolution?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

______